UPJB010045532026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

पीठासीन अधिकारी– विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE–UP2012}

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1013/2026

मंगल सिंह सैनी आयु करीब 29 वर्ष पुत्र दयाराम, निवासी ग्राम लिसडी खुर्द थाना बछरायूँ, जिला अमरोहा। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–94/2026
धारा– **109(1), 231, 212, 217, 237, 248, 240, 61(2) व 3(5) भारतीय न्याय संहिता**
थाना– बछरायूँ, जिला–अमरोहा।

एवं

UPJB010046552026

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1080/2026

फरमान आयु करीब 28 वर्ष पुत्र दिलशेर, निवासी ग्राम लिसड़ी खुर्द थाना बछरायूँ जनपद अमरोहा। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–94/2026
धारा– 109(1), 231, 212, 217, 237, 248, 240, 61(2) व 3(5) भारतीय न्याय संहिता व 3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना– बछरायूँ, जिला–अमरोहा।

जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण

दिनांकः 03.07.2026

उपरोक्त प्रकरण में अभिरक्षा में निरूद्ध आवेदक/अभियुक्तगण **मंगल सिंह सैनी एवं फरमान** की ओर से जमानत हेतु उपरोक्त दोनों के द्वारा पृथक–पृथक प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

02. उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटना व अपराध से सम्बन्धित होने के कारण इनको एक ही आदेश के द्वारा निस्तारित किया जाना उपयुक्त है।

03. संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 30.05.2026 को **वादी मुकदमा विपिन तोमर** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बछरायूँ पर इस आशय की दर्ज करायी कि प्रार्थी विपिन तोमर थाना बछरायूँ जनपद अमरोहा पर उ०नि० के पद पर तैनात था। दिनांक 29.05.2026 को रात्रि समय करीब 20.57 बजे थाना हाजा पर कार्य सरकार में व्यस्त था, तो उसके व्यक्तिगत मोबाईल नम्बर

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.07.03 15:50:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

84471XXXXX पर आपके द्वारा अपने फोन से सूचना दी गयी कि मंगल सैनी द्वारा 112 पर कॉल कर 04 व्यक्तियों द्वारा उसके साथी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने की सूचना दी गयी। जिस पर उसके द्वारा तुरंत ही कॉलर मंगल सैनी को उसके मोबाईल नम्बर 78200XXXXX पर सम्पर्क किया गया, तो मंगल द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी अमरपाल भारती के साथ कैसरा से मोटरसाईकिल से अपने गाँव वापस जा रहा था, तो 04 व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नीयत से हमारे ऊपर फायर किया गया। जो अमरपाल के पैर में लगा और वह घायल हो गया। मैं इस समय 112 की गाड़ी में घायल के साथ सी.एच.सी. धनौरा पर आ रहा हूँ। मैं उ०नि० मय हमराही के सी.एच.सी. धनौरा पहुँचा वहाँ पर पहले से ही पी.आर.वी. 7792 मौजूद थी तथा घायल इमरजेंसी वार्ड में उपचाराधीन था। मुझ उ०नि० द्वारा मजरुब अमरपाल भारती से पूछताछ की गयी, तो मंद–मंद आवाज में अमरपाल भारती ने बताया कि साहब फरमान का अपने परिवारी याकूब से विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते कई बार फैसला करने के लिए हम लोगो ने भी याकूब से कहा लेकिन याकूब नहीं माना फिर फरमान ने मुझे कहा कि मैं तुम्हे कुछ पैसे दूंगा और एक सुनसान जगह पर जाकर हम लोग हवा में फायर करेंगे और तुम अपनी तरफ से याकूब व उसके परिवार के ऊपर जान से मारने का मुकदमा लिखवा देना। इसमे फरमान के साथ मंगल सैनी, इसरत, इदरीश व जमील भी शामिल थे। वो भी मुझे ऐसा करने के लिए कहते थे। मैं भी पैसों के लालच में तैयार हो गया था। दिनांक 29.05.2026 को जब हम लोग शराब पी रहे थे, तो फरमान व अन्य सभी लोगो ने कहा कि चलो खड़े हो जाओ अब हम हवा में फायर करते है। तुम मुकदमा लिखवा देना। फिर इन सबने मुझे थोड़ा आगे भेज दिया और पीछे से मुझपर फायर कर दिया, जिसके छर्रे मेरे पैर में लग गये। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो फरमान के हाथ में तमन्चा था साहब इन लोगों ने पहले मेरे साथ मिलकर अलग योजना बनायी थी। लेकिन बाद में मेरे ऊपर ही मुझे जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। मैंने पूछा तो इन सबने मुझे कहा कि अब मुकदमा मजबूत बनेगा। इसके उपरांत मुझ उ०नि० द्वारा कॉलर मंगल को सी.एच.सी. पर तलाश किया गया, तो मौजूद नहीं मिला रात्रि का समय होने व मजरुब की देखभाल व शान्ति व्यवस्था हेतु मय उ०नि० मय हमराह सी.एच.सी. पर ही मौजूद रहा। आज दिनांक 30.05.2026 को मुझ उ०नि० मय हमराह द्वारा कॉलर मंगल सैनी को तलाश किया गया। काफी तलाश के बाद समय करीब 14:00 बजे कॉलर मंगल सैनी लिसडी मोड़ पर मिला। जो हम पुलिस वालों को देखकर थोड़ा सा सहम गया, जिससे घटना के बारे में तसल्ली देकर पूछताछ की, तो बार–बार अपनी बात बदलकर गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। अब मैं उ०नि० मय हमराह के साथ मय कॉलर के घटना की सत्यता की जाँच हेतु उसके बताये अनुसार घटनास्थल पर आया। जहाँ पर कॉलर द्वारा बताया गया कि वह व उसका साथी अमरपाल शराब पीकर कैसरा से वापस अपने घर जा रहे थे। अम्बेडकर स्कूल के पास पहुंचे, तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद मेरे गाँव के 04 लोगों ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था। मैं गोली चलने की आवाज से डर गया था और अमरपाल को लेकर गाँव जाने वाले रास्ते पर भाग गया। कुछ दूर चलकर मैने मोटरसाईकिल रोकी और अमरपाल को वही पेड़ के नीचे सड़क पर लिटा दिया और 112 पर काल कर दी थी। कॉलर द्वारा दिखाया गया घटनास्थल को बारीकी से चैक किया गया, जहाँ पर किसी भी प्रकार की घटना होने के साक्ष्य नहीं पाये गये। घटनास्थल के आस–पास ना तो खून के धब्बे और ना अन्य साक्ष्य पाये गये। इसके बाद मंगल से और सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया कि साहब मेरे गांव के ही मेरे दोस्त फरमान का अपने ही परिवार के याकूब से कई साल पहले से मुकदमेबाजी चल रही थी, जिसमे मैनें भी फरमान के साथ जाकर याकूब को फैसले के लिए कहा था। तब याकूब ने फैसला करने से मना कर दिया था, तो मैने, फरमान, इसरत, जमील, इदरीश और अमरपाल भारती ने याकूब के परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा कर उससे समझौते के लिए मजबूर करने हेतु योजना बनायी। योजना के तहत शाम को समय करीब 17.30 बजे हम सब लोग जमील के घर इकट्ठा हुए और अपनी योजना को पूरा करने की तैयारी करी और उसके बाद मैं और अमरपाल गाँव के पास ही बंद पड़े भट्टे के बराबर में उसके खाली मैदान में बैठकर बाकी साथियों के आने का इन्तजार करने लगे। कुछ देर बाद जमील, इदरीश व फरमान मौके पर आये और फरमान ने इसरत को फोन कर हम सबके लिए शराब लाने के लिए कहा, तो इसरत कुछ देर बाद 03 देशी शराब (फ्रूटी) व पानी की बोतल व गिलास लेकर आया, तो मैनें अमरपाल, जमील, व इसरत ने शराब पी। हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं था, तो हमने पास के ही खेत से टमाटर तोड़ लिये और उन्ही के साथ शराब पीने लगे। फिर फरमान ने मुझे जमील, इसरत व ईदरीश को एक तरफ बुलाया और फरमान ने कहा कि पहले हमारी योजना हवा मे फायर करने की थी, लेकिन अब हम अमरपाल के पैर में गोली मारेंगे, जिससे अच्छा खासा मुकदमा याकूब के परिवार पर बन जाये, जिसमे अमरपाल को छोड़कर हम सबने सहमति जताई। फिर योजना पूरी करने के लिए अमरपाल के पैर में गोली मारने की बात कही गयी। फिर मैनें फरमान से पैसो की मांग की, तो फरमान ने पाँच हजार रूपये मेरे खाते से डाल दिये तथा पाँच हजार रूपये सुबह के समय देने की

बात कही। इसके उपरांत हम लोगो ने अपनी बनायी योजना के अनुसार अमरपाल भारती को खाली मैदान में आगे ले जाकर खड़ा कर दिया तथा फरमान ने अपने पास मौजूद तमन्चे से अमरपाल भारती पर पीछे से फायर कर दिया, जो अमरपाल के दाहिने पैर में घुटने से ऊपर पीछे की तरफ लगा। तब मौके से इसरत, जमील, व इदरीश चले गये। मैं और फरमान, अमरपाल को फरमान की मोटरसाईकिल पर बैठाकर घटनास्थल से लगभग 01 कि०मी० आगे गाँव को जाने वाले रास्ते पर लेकर गये और अमरपाल को सड़क के किनारे पेड़ के नीचे लिटा दिया, जिससे आने जाने वाले गाँव के लोग देख सके और कोई हमारी योजना पर शक ना करें तथा याकूब व उसके बेटों के खिलाफ हम लोग मुकदमा दर्ज करा सके। कुछ देर बाद मैनें 112 पर काल कर अमरपाल के पैर में गोली मार देने की सूचना दी तथा मौके पर ही एम्बुलेंस की मांग की। कुछ देर बाद 112 की गाडी आयी तथा अमरपाल के पैर से बहते खून को देखकर उन्होने मुझसे कहा कि एम्बुलेन्स आने में समय लगेगा हम तुम्हे अपनी गाड़ी से ही अस्पताल लेकर चलते है। फिर आपने मुझे फोन किया तो मैने आपको अस्पताल आने की जानकारी दी। अतः उक्त जानकारी के आधार पर कॉलर/संदिग्ध मंगल द्वारा अपने साथियो फरमान, इसरत, जमील, इदरीश और अमरपाल भारती के साथ मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से षडयंत्र रचकर मिथ्य साक्ष्य गढकर निर्दोष को अपना बदला लेने के लिए फंसाने हेतु यह घटना घटित की गयी है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा एक योजना बनाकर झूठी घटना को सत्य बनाकर निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की नियत से यह कार्य किया गया है तथा मुझ लोक सेवक को मिथ्य साक्ष्य प्रस्तुत कर गुमराह किया गया।

04. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

05. आवेदक/अभियुक्त **मंगल सिंह सैनी** के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिये गये कि उसे झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी के द्वारा फायर करना नहीं दिखाया गया है और न ही प्रार्थी से फायर आर्म्स की बरामदगी दिखायी गयी है। वह सीधा–सादा ग्रामीण व्यक्ति है। उसके पास वादी का मोबाईल नम्बर होना स्वाभिक नहीं है। इसलिये उसके द्वारा वादी को फोना करना स्वाभिक नहीं है। वह दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः जमानत की याचना की गयी है।

06. आवेदक/अभियुक्त **फरमान** के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदक/अभियुक्त **मंगल सिंह सैनी** के समान कथन किया तथा यह भी कथन किया है कि उससे जो तमंचे आदि की बरामदगी दर्शायी गयी है, वह कतई झूठी व फर्जी है। उसके विरूद्ध कथित घटना कारित करने, उसमें संलिप्त होने का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। वह दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

07. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार मामले में घटना दिनांक 29.05.2026 को किसी समय की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.05.2026 को समय 19:52 बजे सम्बन्धित थाने पर आवेदकगण व अन्य–अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है।

अभियोजन कथानकर के अनुसार आवेदकगण द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से याकूब को फंसाने के लिये षडयंत्र रचकर, मिथ्य साक्ष्य गढकर अमरपाल(सह–अभियुक्त) के पैर में गोली मारने का आरोप है।

केस डायरी पर उपलब्ध चोटिल/सह–अभियुक्त अमरपाल भारती की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसकी दाहिनी जांघ पर कई काल रंग के घाव पायें गये, जिसके जेरे निगरानी रखा गया तथा चोटें सख्त और कुंद चीज से आना बताया है।

08. केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदकगण को सह–अभियुक्त/चोटिल अमरपाल को गोली मारकर याकूब को फंसाने के षडयंत्र में में शामिल होना बताया गया है। चोटिल को आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना दर्शित नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं बताया गया है। **मामले में सह–अभियुक्तगण इसरत, जमील व इदरीश की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2026 को स्वीकार की जा चुकी है।** आवेदक/अभियक्तगण लगभग **एक माह** के अधिक समय से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले में गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदकगण को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **मंगल सिंह सैनी एवं फरमान** के जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते हैं।

प्रत्येक आवेदक उपरोक्त द्वारा मुबलिग 30,000–30,000/–**(तीस–तीस हजार)** रुपये का निजी बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के **एक प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– आवेदक विवेचना एवं विचारण में सहयोग करेगा।

2– आवेदक गवाहों को डराने व धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।

3– आवेदक न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

4– आवेदक आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

5– आवेदक विचारण के समय मामले में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदक उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

इस आदेश की प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1080/2026 पर रखी जाये।

दिनांक–**03.07.2026**

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः राजीव कश्यप, आशुलिपिक